



21-6-2016

राजस्व लोक अदालत द्वारा के गहन
 उभय पक्षों को नोटिस जारी होने के बाद
 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अदालत
 सेवा केन्द्र गुणपद रूपवास पर पेश हुयी।
 वादीया प्रेमदेवी व प्रतिवादी नं 1 ल 3 (प्राथमिक)
 उभय पक्षों को सूना गया। पत्रावली एवं
 उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया
 गया। रकम नं 1151 रकम 0-67 है वही
 गुणपद रूपवास वादीया की खातेदारी व कर्ज
 कारत की शर्त है, जिसका वासिफाने सीमांकन
 भी करा रखा है। प्रतिवादीया का कहना है
 कि वे सीमांकन के संसुद्ध नहीं हैं एवं भी इसकी
 खातेदारी की शर्त का सीमांकन करना चाहते
 हैं। प्राथमिक वादीया की प्रतिवादीया द्वारा सीमांकन
 करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

वास्तुतः आराजी वादीया की

खातेदारी होने के प्राथमिकीकरण को जारी है
 (न्यायी नैकेदादा) के पक्षों में किया जाता है।
 के वादीया के खातेदारी एवं कर्ज कारत की
 आराजी रकम नं 1151 रकम 0-67 है वही
 गुणपद रूपवास तहसील अजमेर के स्थिति प्रमुख
 की प्रजापत व महारकत नहीं। अरे वादीया
 भी प्रतिवादीया के द्वारा सीमांकन करने जाने
 पर विरोधही स्थान पर सापक्ष रहने हुए राखना
 है। बाद इसी सहमति के निस्तारित किया जाता है।
 पत्रावली के लक्ष्यपूर्ण होकर नया के रूप में नया
 दफ्तर दाखिल हो

 उपखण्ड अधिकारी
 अनियारा

काजीडे
 दीनर गति
 विमान

 मित्रदेवी